

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला

अनुमति वाद संख्या- 76/2020-21

सुरु उराव

आवेदक/आवेदिका

बनाम

सीता देवी

विपक्षी

आदेश

आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री श्रीमति

सुरु उराव

पिता/पति श्री/स्व०

चुचला उराव

ग्राम चपका

थाना घाघरा जिला गुमला ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एवं संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)
चपका	घाघरा/78	033	0856	0.75 एकड़ में से (कुल रकबा साढ़ सतरह डिक्मील) 0.17 1/2 एकड़

आवेदित भूमि को आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण प्रस्तावित केता श्री

श्रीमति सीता देवी पिता/पति श्री/स्व० विरेंद्र

उराव निवासी ग्राम चुन्दरी काहिया गौली

थाना घाघरा जिला गुमला को राशि रुपये 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये)

पर बिक्री करने का तय किया है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को मकान बनाने/इम्प्लू हेतु/इन्टरनेट खरीदने/अन्य कार्य हेतु रुपये की आवश्यकता है, रुपये आने का अन्य कोई अन्य श्रोत नहीं रहने के कारण ही आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण भूमि की बिक्री कर रहे हैं। अंचलाधिकारी घाघरा को भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी घाघरा के कार्यालय के पत्रांक 39 दिनांक 30.7.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का

शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण के पास प्रयाप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी/खरीदगी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरुआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत आते हैं, साथ ही एक ही थाना के निवासी हैं।

अतः अंचल अधिकारी घाघरा के जाँच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक / आवेदिका / आवेदकगण श्री श्रीमति सुखु उराँव पिता/पति श्री/स्व धुचला उराँव निवासी ग्राम चपका थाना घाघरा जिला गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि रूपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतद् द्वारा

अनुमति प्रदान की जाती है।

भूमि का पूर्ण विवरण				
राजस्व ग्राम	थाना का नाम एवं संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)
चपका	घाघरा/78	033	0856	0.75 एकड़ में से 0.17 1/2 एकड़

(कुल रकबा साढ़े सतरह डिसमील)

चौहदी - उत्तर- टांड बुधराम उराँव
पूरब- टांड बुधराम उराँव

दक्षिण- काच्चा सड़क
पश्चिम- टांड हीड़ा उराँव

लेखापित एवं संशोधित

सुधीर कुमार
भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
गुमला।

सुधीर कुमार
भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
गुमला।